

1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS
2. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
कार्यालय

क्रमांक एफ-16 / 248 / 2000 / 1 / 34
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-1-2001

01. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग,
भोपाल ।
02. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र.....
मध्यप्रदेश ।
03. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग,
परियोजना मण्डल
04. समस्त आयुक्त,
नगर निगम ।
05. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
- नगर पंचात
- जिला (म. प्र.) ।

विषय:- जल प्रदाय योजनाओं का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण एवं नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ-8-8 / 2000 / 2 / 34
दिनांक 17 / 18 जुलाई , 2000

..... 0

जलप्रदाय योजनाओं के स्थानीय निकायों को हस्तांतरण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं का स्थानीय निकाय द्वारा क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित क्रमांक एवं दिनांक से दो करण जारी किये गये थे इन परिपत्रों द्वारा राज्य शासन व इस निर्णय की जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में ऐसे नगरों की जल निकाय योजनाओं जिनकी संचालन एवं दुतवास में लोक स्वास्थ्य या. विभाग द्वारा किया जा रहा है, को संबंधित नगरी निकायों को हस्तांतरण किया जाय और यह निर्देश दिये गये थे कि ऐसी समस्त जल प्रदाय योजनाएं सेधारण अमले तथा 3 लुब्ध बजट अवंटन सहित संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित की जाय राज्य शासन के संमसंख्यक एवं

इसी दिनांक को जारी एक दूसरे ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया था कि नगरीय निकाय जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं करें । इस हेतु नगरीय निकाय स्वतंत्र होंगे कि वे जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की तकनीकी विशेषता प्राप्त कर या अन्य निजी संस्था के माध्यम से करवाएं ।

02. राज्य शासन एतद्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने वाले अमले की प्रमुख सेवा सर्वे निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

1. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अमला नगरीय निकायों के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेगा । प्रशासकीय नियंत्रण में रहते हुए अमले को नगरीय निकायों में प्रतिनियुक्त पर पदस्थ माना जायेगा ।
2. हस्तांतरित किये गये विभागीय अमले के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रावधान बजट में से दिया जायेगा ।
3. नगरीय निकायों में प्रतिनियुक्त के बाद भी इस अमले की वरिष्ठता विभाग में बयावत बनी रहेगी ।
4. नगरीय निकायों को दिये गये नये अमले की पदान्ति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्वानुसार उनकी विभागीय संबंध में वरिष्ठता एवं विभागीय भरती नियमों के अनुसार की जावेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेश नुसार

क्रमांक एफ-16/248/2000/1/34
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3-1-2001

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की टीप दिनांक 7.12.2000 में संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ ।

हस्ता/-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग